प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:– 1768 /पि0व0क0/2015–16 लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2015

विषय:–दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–127/2015/4023/26–3–2015 दिनांक 03.11.2015 (छायाप्रति संलग्न), जो समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित अन्य के साथ–साथ अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विभाग में संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद स्तरीय स्वीकृत समिति के स्तर से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत अस्वीकृत (रिजेक्ट) तथा स्वीकृत (एप्रूव्ड)/अनुमोदित किये गये आवेदन पत्रों/डाटा के विवरण का प्रमाण–पत्र का प्रारुप संलग्न करते हुए प्रकरण में शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03.11.2015 के क्रम में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 05.11.2015 को आहूत वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपस्थित समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में विभाग में संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन

के सम्बन्ध में शासन के संलग्न उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03.11.2015 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी। अतः इसे अभीष्ट प्राथमिकता प्रदान की जाये।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।

पृ0सं0/ 1768 /पि0व0क0/2015—16 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन अनु0—3 ।
2. सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0—2 ।
3. समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।